स्टेट बनाम सवाईसिंह

मु0नं0 81 / 2023

18-01-24	पत्रावली आज राज0 पैरोकार (तहसीलदार खाजूवाला) के अर्जेट हियरिग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रतिवादी गैरहाजिर आज सरे इजलास रूक रूककर बार बार आवाजे लगाई गई जिसपर प्रतिवादी गैरहाजिर। प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी / राज पैरो0 को सुना गया। यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 18 डीडब्ल्युडी के मु0नं0 234 / 27 के किला नं0 4 ता 6, 13 ता 16, 23 ता 25 में सवाईसिंह पुत्र मघसिंह जाति राजपूत निवासी हरसाणी तहः शिव जिला बाडमेर हॉल चक 18 डीडब्ल्युडी सी द्वारा उक्त भूमि पर जिप्सम का अवैध खनन किया जा रहा है। रकबे में अवैध खनन की अनुमति नहीं है। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार की कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे। सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये डाक समन भिजवाया गया किन्तु प्रतिवादी गैरहाजिर होने की वजह से प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वादी / राज पैरो0 को एकपक्षीय सुना गया। राज पैरो0 ने निवेदन किया कि प्रतिवादी जानबुझकर हाजिर नहीं है एवं अवैध खनन हुआ है इसलिए प्रतिवादी का उक्त रकबा खारिज किया जावे ताकि अवैध खनन करने वालों एवं कृषि भूमि का बिना वैधानिक अनुमति के अकृषि कार्य उपयोग करने वालों के हौसले बुलन्द ना हो। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। हालांकि पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे खनन	

18-01-23	कर रहे है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकारी कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि चक 18 डीडब्ल्युडी सी मु0नं0 234/27 के किला नं0 4 ता 6, 13 ता 16, 23 ता 25 में अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके। अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 18 डीडब्ल्युडी सी मु0नं0 234/27 के किला नं0 4 ता 6, 13 ता 16, 23 ता 25 भूमि की उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।	